<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः– ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 04/2023 **दायर दिनांकः 18.01.2023**

उनवान

1. मुकेश पुत्र सोहनलाल उर्फ रामस्वरूप जाति ब्राहमण
2. कुसुम पुत्री सोहनलाल उर्फ रामस्वरूप जाति ब्राह्मण
3. तारा पुत्री सोहनलाल उर्फ रामस्वरूप जाति ब्राहमण
4. दीपा पुत्री सोहनलाल उर्फ रामस्वरूप जाति ब्राहमण
5. सुमन पुत्री सोहनलाल उर्फ रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासीगण कुन्जैड़ तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0</u>

उपस्थिति :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा

निर्णय दिनाकः 27.03.2025

वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कुन्जैड़ पटवार हल्का कुन्जैड़ तहसील अटरू जिला बारां [(राज०) की आराजी खाता] संख्या 364 का ख.नं. 1404/1743 का रकबा 0.15 हे0, ख.नं. 1410 [का रकबा] 1.45 [illegible], ख.नं. 309/1739 का रकबा 0.10 हे०, ख.नं. 314 का रकबा 0.93 हे०, ख.नं. 316 का रकबा [illegible] हे०, ख.नं. 447/173[illegible] का रकबा 0.12 हे0, ख.नं. 459 का रकबा 0.25 हे0, ख.नं. 460 का रकबा [illegible]86 हे0, ख.नं. 464 का रकबा 0.76 हे0, ख.नं. 465 का रकबा 0.30 हे०, ख.नं. 467 का रकबा 0.12 हे0, ख.नं. 558/1681 का रकबा 0.06 हे० कुल किता 12 का कुल रकबा 7.12 हेक्टर आराजी प्रार्थीगण के अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested

खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 साथ में संलग्न है। सहखातेदार यशोदा पत्नि स्व० सोहनलाल उर्फ रामस्वरूप जाति ब्राह्मण का दिनांक 13/07/2016 को स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान प्रार्थीगण है। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थीगण के पिता का नाम रामस्वरूप गलत दर्ज कर दिया है जबकि सही नाम सोहनलाल उर्फ रामस्वरूप है। प्रार्थीगण के दस्तावेजों एवं ग्राम पंचायत कुन्जेड़ के प्रमाण पत्र में प्रार्थीगण के पिता का नाम सोहनलाल उर्फ रामस्वरूप सही दर्ज है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम रामस्वरूप के स्थान पर सही नाम सोहनलाल उर्फ रामस्वरूप दर्ज करवाया जाना सम्भव नही है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम सोहनलाल उर्फ रामस्वरूप सही दर्ज नही किया गया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पड़ेगा। अस्तु प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम रामस्वरूप के स्थान पर सही नाम सोहनलाल उर्फ रामस्वरूप दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 136 एल०आर०एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम रामस्वरूप के स्थान पर सही नाम सोहनलाल उर्फ रामस्वरूप दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया तथा तहसीलदार अटरू से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2024/38 दिनांक 07.01.2025 से रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

साक्ष्यवादी के तहत pw 1 [illegible] पुत्र सोहनलाल उर्फ रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी कुन्जैड, pw 2 ओमप्रकाश पुत्र [illegible] जाति ब्राह्मण निवासी सिविल लाईन कॉलोनी अटरू, pw 3 मुकेश पुत्र रामदयाल जाति मेघवाल निवासी गडिया मंदिर के पास अटरू के शपथ पत्र पेश किए गए तथा शपथ पत्र pw 1 के सशपथ बयान लेखबद्ध किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक वादीगण की एक तरफा बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजों (नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कुन्जैड खाता संख्या 364 सम्वत 2074–2077, नकल आधार कार्ड सोहनलाल, नकल आधार कार्ड कुसमु, नकल मृत्यु प्रमाण पत्र यशोदा देवी) व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में वादीगण के पिता का नाम रामस्वरूप पुत्र रामगोपाल जाति ब्राहम्ण दर्ज था। मुताबिक फौती नामान्तकरण संख्या 745 से रामस्वरूप पुत्र रामगोपाल के स्थान पर मृतक के वारिसान मुकेश पुत्र, कुसुम, सुमन, तारा, दीपा पुत्रियां व यशोदा बाई पत्नी स्व0 रामस्वरूप दर्ज हुआ। तत्समय प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक का नाम रामस्वरूप पुत्र रामगोपाल जाति ब्राहम्ण दर्ज था जिसके आधार पर उक्त आराजी में रामस्वरूप पुत्र रामगोपाल का फौती नामान्तकरण खोला गया। जिससे रामस्वरूप के वारिसान के नाम दर्ज हुए। वादीगण ने स्वयं ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नही किया जिससे उनके पिता का नाम सोहनलाल हों।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर वादी क्रम 1 ता 5 के पिता का का नाम रामस्वरूप के स्थान पर सोहनलाल उर्फ रामस्वरूप साबित करने में वादीगण असफल रहे है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

–:क्रियात्मक आदेश:–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद खारिज फरमाया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>

<u>बइजलास. ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)</u>

प्रकरण सं0 04/2023 **दायर दिनांकः 18.01.2023**

उनवान

1. मुकेश पुत्र सोहनलाल उर्फ रामस्वरूप जाति ब्राहमण
2. कुसुम पुत्री सोहनलाल उर्फ रामस्वरूप जाति ब्राह्मण
3. तारा पुत्री सोहनलाल उर्फ रामस्वरूप जाति ब्राहमण
4. दीपा पुत्री सोहनलाल उर्फ रामस्वरूप जाति ब्राहमण
5. सुमन पुत्री सोहनलाल उर्फ रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासीगण कुन्जैड़ तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0</u>

उपस्थिति :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

मिनजानित मुदई रूबरू ....ग..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम एवं माल कुन्जैड़ पटवार हल्का कुन्जैड़ तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 364 कुल किता 12 का कुल रकबा 7.12 हेक्टर आराजी के संबंध में वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....ग...................... मुबालिक ....ग............... बाबत खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ग..............................
.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी [illegible] .... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक [illegible]03.2[illegible] को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0

महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested